


५

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारन अनुपस्थित  
थे वकील वादी को बार-बार आवाजे  
लगावई गरी परन्तु वकील वादी अनुपस्थित  
थे इसलिए वादी का वाद १२३ जर्दी.  
में खारिज किया जाता है पत्रावली  
फैसल सुमार होकर नम्बर ११ रुम हो  
आदेश बुले न्यायालय में पुत्रावली

  
उपरखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

